



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर दिनांक 18-01-2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को 03 अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1- तारा पुत्र मेहर सिंह निवासी काशीराम कालोनी बैराज रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में मु0अ0सं0 38/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया 2- अभियुक्त फिरोज उर्फ काला पुत्र इसरार नि0 ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध



में थाना मु0अ0सं0 39/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया 3- अभियुक्त शादाब पुत्र नईम नि0 मौ0 मिर्दगान बी -10 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में मु0अ0सं0 40/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

तारा पुत्र मेहर सिंह निवासी काशीराम कालोनी बैराज रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
फिरोज उर्फ काला पुत्र इसरार नि0 ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
शादाब पुत्र नईम नि0 मौ0 मिर्दगान बी -10 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

03 अवैध चाकू ।

तारा पुत्र मेहर सिंह निवासी काशीराम कालोनी बैराज रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 839/2012 धारा 392/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 864/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 262/2013 धारा 394/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 263/2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 461/2013 धारा 03 गुण्डा एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 747/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 329/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 38/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर

फिरोज उर्फ काला पुत्र इसरार नि0 ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 150/2017 धारा 272/273 भादवि 60 आबकारी अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 739/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 339/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 922/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 797/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 39/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर

शादाब पुत्र नईम नि0 मौ0 मिर्दगान बी -10 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 1243/2016 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 641/2017 धारा 398/401 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 643/2017 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 1100/2017 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 01/2018 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 449/2018 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 1132/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 432/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 659/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 833/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 70/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 306/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 534/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 68/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 956/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 1097/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर
मु0अ0सं0 40/2025 धारा 4/25 अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1- थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 18-01-2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम पुत्र मकबूल निवासी ग्राम जमाईपुरा मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 30/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

नदीम पुत्र मकबूल निवासी ग्राम जमाईपुरा मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू नाजायज ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 81/15 धारा 201 मोटर व्हीकल एक्ट व 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना चांदपुर बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 391/16 धारा 147/148/323/326/504/506 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 427/18 धारा 269/270/429 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 430/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 903/18 धारा 269/270/307/420 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद
6. मु0अ0सं0 01/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 14/19 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 216/20 धारा 269/270/429 भादवि0 व 299 नगरपालिका अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 283/20 धारा 269/270/429 भादवि0 व 299 नगरपालिका अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 30/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- आरक्षी अर्जुन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी बृजेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 18.01.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---------|----------|--|
| 1 | किरतपुर | फईम पुत्र शफीक नि० मौ० फकीरवाला कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर |
| 2 | किरतपुर | ओसामा पुत्र नसीम नि० ग्राम चिडियापुर चाण्डक तुर्क थाना किरतपुर बिजनौर |
| 3 | रेहड | चरनजीत पुत्र लखवेन्द्र सिंह नि० ग्रा० फतेहपुर धारा थाना रेहड जनपद बिजनौर |



थाना किरतपुर



थाना रेहड



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 18-01-2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कैलाश पुत्र गणेश निवासी मौ० स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 28/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

कैलाश पुत्र गणेश निवासी मौ० स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू नाजायज ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं० 614/08 धारा 147/307/452/323/325/504/506 भादवि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 185/14 धारा 380/411 भादवि० थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
3. मु०अ०सं० 320/14 धारा 120बी/379/392/411 भादवि० थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. मु०अ०सं० 344/14 धारा 14/148/149/307 भादवि० थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
5. मु०अ०सं० 346/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
6. मु०अ०सं० 129/15 धारा 392 भादवि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
7. मु०अ०सं० 243/15 धारा 3 गुन्डा गर्दी अधि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
8. मु०अ०सं० 453/17 धारा 380/411 भादवि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
9. मु०अ०सं० 28/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक 18.01.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.01.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अकरम पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ० हाता नई बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना स्योहारा पर



मु०अ०सं० 24/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अकरम पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ० हाता नई बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं० 156/04 धारा 302/504/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. मु०अ०सं० 172/04 धारा 25 आयुध अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. मु०अ०सं० 691/07 धारा 25 आयुध अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4. मु०अ०सं० 857/07 धारा 25 आयुध अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
5. मु०अ०सं० 162/17 धारा 380/457/411 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
6. मु०अ०सं० 201/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
7. मु०अ०सं० 287/17 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

8. मु0अ0सं0115/18 धारा 307 भादवि व बृद्धि धारा 302 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 133/18 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 196/18 धारा 395/412 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 409/18 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 219/23 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
13. मु0अ0सं0 432/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
14. मु0अ0सं0 439/23 धारा 341/323/324/307/506 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
15. मु0अ0सं0 283/24 धारा 394/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
16. मु0अ0सं0 24/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री असकर खां थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. का0 1111 हरिपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. का0 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक 18-01-2025

थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त जाकिर पुत्र जाफिर निवासी ग्राम जटपुरा बौण्डा थाना मंडावली जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 3/25 (1B) आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

जाकिर पुत्र जाफिर निवासी ग्राम जटपुरा बौण्डा थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 81/220 धारा 379/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 51/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 111/23 धारा 10 उ0प्र0 गुन्डागर्दी निवारण अधिनियम थाना मंडावली बिजनौर ।
- 4- चालानी रिपोर्ट 156/24 धारा 129 बीएनएसएस थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 5- मु0अ0सं0 5/25 धारा 3/25 (1B) आयुध अधिनियम थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 देवपाल सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी अमित कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी इमरान खान थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।